

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.4(ई)/(एम-193/88)/अलेसे -III/6322-26 दिनांक :- 18-9-14.

पुलिस अधीक्षक,
नागौर।

विषय :- प्रकरण संख्या 02/2009 धारा 409, 120बी आईपीसी पुलिस थाना,
डीडवाना में अभियोजन स्वीकृति के सम्बंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक स.3()अ0शा0/एसआरसी/नागौर/14/34717-23
दिनांक 06.08.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण संख्या 02/2009 धारा 409, 120बी आईपीसी पुलिस थाना, डीडवाना में श्री महावीर प्रसाद, क0 लेखाकार एवं श्री मेवाराम बुगालिया, क0 लेखाकार तत्कालीन पदस्थापित कार्यालय राजकीय बांगड चिकित्सालय, डीडवाना, नागौर के विरुद्ध जारी अभियोजन स्वीकृति समसंख्यक पत्र क्रमांक 6301 दिनांक 18.09.2014 संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न-3 अभियोजन स्वीकृति



(डॉ. अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

क्रमांक एफ.4(ई)/(एम-193/88)/अलेसे -III/6322-26 दिनांक :- 18-9-14

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

1. महानिरीक्षक, पुलिस अजमेर रेंज, अजमेर।
2. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड चिकित्सालय, डीडवाना (नागौर)
4. निजी सहायक, निदेशक महोदय।
5. श्री महेन्द्र गोयल, लेखाकार, शाखा अलेसे-III
6. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट हेतु)
7. पदस्थापन शाखा/निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)